# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

| क्र. सं. | अपील संख्या | अपीलार्थीगण का नाम | प्रत्यर्थी विभाग |
|---|---|---|---|
| 1. | 945/2019 | सत्यनारायण शर्मा | 1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, सचिवालय, जयपुर।<br>2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।<br>3. अति. निदेशक (क्षेत्रिय), पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।<br>4. सुरेन्द्र सिंह सैनी, उप निदेशक, पशुपालन विभाग, झुंझुनू। |
| 2. | 946/2019 | सुनिता मान | |

**आदेश की दिनांक** : 15.02.2024

**उपस्थित :–**

**अपीलार्थीगण की ओर से** : श्री अशोक बंसल, अधिवक्ता

**प्रत्यर्थीगण की ओर से** : डॉ पुष्पेन्द्र पाल सिंह, अति.राजकीय अभिभाषक

**समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य (न्यायिक)**
**लेखराज तोसावड़ा, सदस्य**

## आदेश

1. उपरोक्त वर्णित दोनों अपीलों में समान आपत्ति उठायी गयी है। अतः दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस आदेश के द्वारा किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से अपील संख्या 945/2019 सत्यनारायण शर्मा बनाम राजस्थान राज्य के तथ्य अंकित किये जा रहे हैं।

2. इस अपील में अपीलार्थी के अधिवक्ता ने यह तथ्य अंकित किये है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की सिफारिश के अनुसार वेटनरी ऑफिसर के पद पर आदेश दिनांक 23.11.1983 के द्वारा हुई थी। अपीलार्थी ने सेवाएं दिनांक 25.02.1984 को नियुक्त की। इसके पश्चात अपीलार्थी को सिनियर वेटनरी ऑफिसर के पद पर और बाद में उप निदेशक, पशु पालन विभाग के पद पर पदोन्नति दी गई। प्रत्यर्थी संख्या–4 सुरेन्द्र सिंह सैनी को वर्ष 1986 में वेटनरी ऑफिसर के पद पर नियुक्ति दी गई थी और प्रत्यर्थी संख्या–4 भी उप निदेशक के केडर में कार्यरत है। राजस्थान पुनरीक्षित वेतनमान, 2017 में अपीलार्थी का दिनांक 01.07.2017 को पे–मैट्रिक्स 17 में मूल वेतन 104200/– है, जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ प्रत्यर्थी संख्या–4 का पे–मैट्रिक्स लेवल 107300 है। अपीलार्थी को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एसीपी का लाभ 10, 20 एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर दिया गया। अपीलार्थी को तृतीय एसीपी का लाभ दिनाक 25.02.

2014 को प्राप्त हुआ। दिनांक 25.02.2014 को पे–स्केल 15600–93100 में पे–ग्रेड 6600 दी गई। प्रत्यर्थी संख्या–4 को तृतीय एसीपी का लाभ 30 साल की सेवाओं के बाद दिनांक 15.09.2016 को दिया गया। अपीलार्थी से कनिष्ठ व्यक्ति को तृतीय एसीपी का लाभ बाद में प्राप्त हुआ। परंतु निजी प्रत्यर्थी का वेतन अपीलार्थी से अधिक फिक्स किया गया है। इस कारण से अपीलार्थी के वेतन में विसंगति होने के कारण अपीलार्थी वेतन स्टेप–अप कराने का अधिकारी है।

3. उपरोक्त तथ्य अंकित करते हुए अपीलार्थी ने निम्न प्रकार से प्रार्थना की है:–

"It is therefore, prayed that this appeal may kindly be allowed and the order dated 11.3.2019 may kindly be quashed and set aside and the respondents may be directed to allow benefit of pay stepping up with the respondent No. 4 with effect from 5.9.2016 and after grant of benefit of pay stepping up, all the retirement benefits and revised pension orders may be issued along with arrears and interest. "

4. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी सत्यनारायण शर्मा, उप निदेशक का अपने से कनिष्ठ अधिकारी डॉ० सुरेन्द्र सिंह सैनी से वेतन स्टेप अप के अन्य समान प्रकरण में विभागीय लेखाकर्मी के परीक्षण अनुसार राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतनमान नियम 2017 के शिड्यूल–6 के नियम 14 एवं 15 के बिन्दु–12 के अनुसरण में आश्वासित केरियर प्रगति (एसीपी) के कारण प्राप्त अधिक वेतन प्राप्त कर रहा है इस कारण से अपीलार्थी को वेतन उन्नयन का लाभ नियमानुसार देय नही है। राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम 2017 के शिड्यूल–6 (नियम 14 व 15) के बिन्दु संख्या–12 के अनुसार निम्न प्रावधान किया गया है, जो उदृत है :–

"Financial upgradation under the ACPS shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. As such there shall be no additional financial upgradation for the senior employees on the ground that the junior employee in the level has getting higher level under the ACPS"

उक्त प्रकरण में डॉ० सुरेन्द्र सिंह सैनी का वेतन आश्वासित केरियर प्रगति (एसीपी) के कारण अपीलार्थी सत्यनारायण शर्मा से अधिक हुआ है, अतः वेतन उन्नयन का लाभ नियमानुसार अपीलार्थी को देय नही है। इसलिए अपीलार्थी माननीय अधिकरण से किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नही है।

5. हमनें दोनों पक्षों के अधिवक्तागण दिये गये तर्कों पर विचार किया। इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि तृतीय एसीपी का लाभ दिये जाने की दिनांक 01.07.2017 को अपीलार्थी का वेतन 104200/– था। निजी प्रत्यर्थी संख्या–4 का वेतन 107300/– पर नियत किया गया था। स्पष्ट है कि अपीलार्थी राजस्थान सिविल सेवा संशोधित वेतनमान नियम, 2017 के लागू होने के पश्चात अपीलार्थी का वेतन उनसे कनिष्ठ व्यक्ति से कम नियत किया गया है। राजस्थान सेवा नियम के नियम 32 में प्रावधान रखा गया है कि जहां वरिष्ठ व कनिष्ठ राजकीय कर्मचारी एक ही कैडर/पद पर पदस्थापित है और एक ही विभाग में कार्यरत है तो वरिष्ठ व्यक्ति का वेतन कनिष्ठ के समान किये जाने के लिये स्टेप–अप किया जाए। राजस्थान सरकार वित्त विभाग ने आदेश दिनांक 28.05.2021 जारी किया है, जिसमें विसंगती दूर किये जाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान रखा गया है :–

> "It has been brought to the notice of the Government that pay anomaly has been arisen between senior and junior employees of the holders of some posts. A senior Government servant was appointed before the further revision of the pay scale of the post and junior Government was appointed in the further revision of pay scale of the post. In some cases further revision of pay scale was made w.e.f. 01.07.2013.
>
> The pay of junior Government servant on completion of period of probation has been made in accordance with the entry pay prescribed in the revised Schedule-V appended to the RCS(Revised pay) Rules, 2008 and pay of senior Government servant has been fixed at an equal stage in the running pay band plus revised grade pay of the post as per provisions of rule, 28 of RCS(RP) Rules, 2008. The pay of senior Governmcut servant remains lower than the entry pay allowed to the junior Government servant. This has resulted anomaly in pay from the date junior has been allowed entry pay of the post of further revised pay scale.
>
> Accordingly, the matter has been considered and the Governor is pleased to order that in the cases of direct recruitment, due to further revision of pay scale from the date subsequent to 01.01.2006, the pay of senior becomes lower than his junior, in such cases the pay of senior Government servant may be allowed to be stepped up equal to the pay of his junior from the date junior began to draw higher pay. In such cases the date of next increment of senior Government servant

will be the date of next increment admissible to the junior Government servant.

This order will be eftective from 01.07.2013 "

6. इसके पश्चात वित्त विभाग ने दिनांक 06.07.2021 को स्पष्टीकरण भी जारी किया है, जिसमें निम्न प्रकार से स्टेप–अप की स्थिति को स्पष्ट किया गया है:–

''इस विभाग की अधिसूचना कमांक प.14(1)वित्त/नियम /2013–II दिनांक 28.06.2013 के द्वारा राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम 2008 की अनुसूची–5 में दिनांक 01.07.2013 को या उसके पश्चात सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मचारियो को उनकी प्रोबेशनर ट्रेनी अवधि पूर्ण करने पर दिनाक 01.07.2013 से देय किये गए प्रारम्भिक वेतन एवं दिनांक 01.07.2013 से पूर्व नियुक्त एवं प्रोवेश्नर ट्रेनी अवधि पूर्ण कर चुके वरिष्ठ कर्मचारी के वेतन में वेतन विसंगति उत्पन्न हो जाने के कारण इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.14(1)वित्त/नियम/2013 दिनांक 30.10.2017 के द्वारा अनुसूची–5 के अनुसार देय प्रारम्भिक वेतन को दिनांक 01.07.2013 से संशोधित किया गया था।

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 के अंतर्गत दिनांक 01.07.2013 से कतिपय पदों यथा–नर्स ग्रेड–II पब्लिक हेल्थ नर्स तथा नर्सिंग ट्यूटर की ग्रेड–पे क्रमशः रु. 3200, 3200 एवं 3600 को संशोधित कर कमश रु. 4200, 4200 एवं 4800 की गई है। उक्त संशोधन के फलस्वरूप इन पदों के वरिष्ठ कार्मिकों एवं कनिष्ठ कार्मिकों के दिनांक 01.07.2013 को या इसके पश्चात वेतन निर्धारण होने पर वेरान विसंगति परिलक्षित हुई है। उक्त विसंगति के समाधान हेतु इस विभाग के आदेश कमांक प. 14(88) वित्त/नियम/2008 दिनांक 28.05.2021 के द्वारा वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन स्टेप–अप किये जाने का प्रावधान किया गया है।

अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि इस विभाग के आदेश कमांक प.14(88)वित्त/नियम/2008 दिनांक 28.05.2021 के वेतन स्टेप–अप के प्रावधान केवल सीधी भर्ती से दिनांक 01.07.2013 से पूर्व नियुक्त उन वरिष्ठ कर्मचारियों के सबंध में प्रभावी होंगे, जिनके वेतन में इस विभाग की अधिसूचना कमांक प.14(1)वित्त/नियम/

2013 दिनांक 30.10.2017 के पश्चात भी कनिष्ठ कार्मिकों को देय प्रारम्भिक वेतन से भी कम रह गये है।''

7. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने 27 वर्ष की सेवाएं संशोधित वेतनमान नियम लागू होने से पूर्व ही पूरी कर ली थी, परन्तु जिन व्यक्तियों ने 27 वर्ष की सेवाएं संशोधित वेतनमान नियम लागू होने से पूर्व पूरी नहीं की थी, उनका वेतन अपीलार्थी से अधिक हो गया है। इस विसंगति को दूर किया जाए और अपीलार्थी का वेतन स्टेप–अप किया जाए। संशोधित वेतनमान नियम 2017 में नियम 11.7 में स्टेप–अप का प्रावधान रखा गया है, जो निम्न प्रकार से है :–

> "Where in the fixation of pay under sub-rule (1), the pay of a Goverment servant, who, in the existing pay structure, was drawing immediately before the 1st October, 2017 more pay than another Government servant junior to him in the same cadre, gets fixed in the revised pay structure in a Cell lower than that of such junior, his pay shall be stepped up to the same Cell in the revised pay structure as hat of the junior"

8. रिवाइज्ड पे स्केल नियम 2017 एवं राजस्थान सरकार वित्त विभाग के उपरोक्त परिपत्रों को ध्यान में रखते हुए हम पातें है कि अपीलार्थी अपना वेतन उन कनिष्ठ व्यक्तियों के समान प्राप्त करने का अधिकारी है, जिन्हें सातवें वेतन आयोग के सिफारिश के अनुसार अधिक वेतन प्राप्त हो रहा है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थीगण को उपरोक्तानुसार स्टेप–अप किये जाने के निर्देश दिये जाते हैं एवं यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश तभी लागू होगा जब अपीलार्थी का वेतन शास्ति या अन्य किसी आधार पर नहीं रोका गया हो। स्टेप–अप का आदेश तीन माह में पारित करने के लिये प्रत्यर्थी विभाग को आदेश दिया जाता है। उपरोक्त आदेश उक्त अपील संख्या 946/2019 सुनीता मान बनाम राज. सरकार में भी लागू होगा।

9. मूल आदेश अपील संख्या 945/2019 में रखा जावे एवं इसकी छाया प्रति अपील संख्या 946/2019 में रखी जावें।

**(लेखराज तोसावड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**